FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

बाबूलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमां 42 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
13/10/20	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी बाबूलाल, नरेन्द्र सिंह पुत्रगण सत्यनारायण जाति दरोगा निवासीगण नीमां तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं 291 ख0नं0 459 तादादी 9.11 है0 रोही नीमां व ख0न0 165 तादादी 5.68 है0 पाकेरोही जसवंतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम श्रवणसिंह जाति [illegible] नि0 भाना[illegible] भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम बाबूलाल जाति दरोगा निवासी नीमां दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं 291 ख0नं0 ख0न0 459 तादादी 9.11 है0 रोही नीमां व ख0न0 165 तादादी 5.68 है0 बाकेरोही जसवंतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम श्रवणसिंह जाति [illegible] नि0 भाना[illegible] के स्थान पर सही नाम बाबूलाल जाति दरोगा नि0 नीमां शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहंसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	